

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी

: श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या

: 13/2014

सायलान :-

बनाम

गै०सा० :-

1. सोहनलाल पुत्र जीताराम
2. भाकरराम पुत्र जीताराम
3. धर्मराम पुत्र जीताराम
4. शान्ति पत्नि जीताराम
जातियान-चौकिदार,
निवासी-काणेचा, तह.-जैतारण,
जिला-पाली(राज.)

1. अर्जून पुत्र गोकलराम
2. तेजाराम पुत्र गोकलराम
3. परमाराम पुत्र गोकलराम
जातियान - चौकिदार,
निवासीगण- काणेचा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू.:20.01.2014

- उपस्थित:-
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
 2. श्री कल्याण व्यास, अधिवक्ता, गै०सा०।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-काणेचा, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 382 रकबा 12.05 बीघा किस्म बारानी दायम खसरा नम्बर 384 रकबा 23-11 बीघा बारानी दायम, खसरा नम्बर 399 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दायम, कुल किता-3 कुल रकबा 48-16 बीघा की आई हुई हैं। जिसके पक्षकारन रेकर्ड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। इस हिस्से के अनुसार सायलान काबिज खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार गैरसायलान भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से माफिक 3/4 हिस्से पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, नकल चालू जमा बन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाति हैं। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त विवादित भूमि गांव-काणेचा में सडक की सीमा के नजदीक आई होने से भूमि की किमते अब बढ गई हैं। इसी वजह से गैरसायलान की नियत अब खराब हो गई हैं। सायलान के पिता व पति का स्वर्गवास हो चुका है। इसी वजह से गैरसायलान जो कि सायलान के चाचा व देवर लगते हैं, जो सभी इस भूमि के संयुक्त व शामलाती होने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

से माठ व बंटवाडा को लेकर के व रास्ते को लेकर के वाद विवाद करते है तथा इस भूमि मे खडे वृक्षो की छागाई व लूग पापडी के उपयोग व उपभोग को लेकर के भी विवाद कर रहे गैरसायलान सभी अच्छी किस्म की भूमि को अपने कब्जे में रखकर दुरुस्त व हल्की किस्म की भूमि को सायलान के लिये छोड रहे हैं तथा अपने मनमापिक बंटवाडा कर रहे है व उसी अनुरूप पुरानी माठो को तोडकर नये चिरे से माठे कायम करने को आमादा हैं, जबकि सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिन्ट एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाना चाह रहे हे जिस पर सायलान ने गैरसायलान को इस विवादित भूमि का बाई मिटस् बाउण्डस बंटवाडा करने के लिये कई बार निवेदन किया सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर आधुनिक तरीके से काशत करना चाहते हैं। इसलिये सायलान को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैक का साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाडा आवश्यक हैं। लेकिन गैरसायलान संख्या एक द्वारा नही मानने व दिनांक 18/12/2013 को ऐसा बंटवाडा कराने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर देने पर सायलान के पास यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका बाई मिन्ट एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हुआ हैं। गैरसायलान बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने मे बाधा व अइचन भी पैदा कर रहे है एवं सायलान के हक हिस्से में खडे हरे वृक्षो को भी काट रहे हैं। गैरसायलान की नियतबद्ध है, वह सायलान के हक की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे है। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे है, सायलान कानून को मानने वाले शांत प्रवृति के व्यक्ति हैं, जिनके कब्जे काशत में गैरसायलान को उनके आराजी मे प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहे है तथा गैरसायलान सायलान व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नही मान रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर सायलान को बेदखल कर भूमि का कब्जा कर सायलान को बेकाबित कर दिया सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया है। समस्त तथ्यो परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधारपर एवं सायलान के कब्जे व काशत के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष मे प्रमाणित हैं। परन्तु गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से की कब्जा काशत की जमीन से बेदखल कर उक्त भूमि को जरिये रहन बैचान के अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा हैं। यदि गैर सायलान ने बिना बंटवाडा कराये ही सायलान के हक हिस्से की आराजी का जबरदस्ती बेचान कर दिया, तो सायलान को अपूरणीय क्षति जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी, इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जांताण (पाली)

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै०सा० को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै०सा० जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। गै०सा० को जबाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता है। सायल के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20/01/2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी है।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि राजस्व मौजा-काणेचा, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान एवं गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 382 रकबा 12.05 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 384 रकबा 23-11 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 399 रकबा 13 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल किता-3 कुल रकबा 48-16 बीघा की भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 20/01/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा

केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज०)